



राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

क्रमांक - एफ 7()सहरिया छात्र/छात्राओं को शैक्षणिक उत्प्रेरण/सीटीएडी/2021-22/34392-402 दिनांक :-22.11.21

विज्ञप्ति

(सहरिया जनजाति छात्र/छात्राओं के शैक्षणिक उत्थान हेतु संचालित विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं में ऑनलाईन आवेदन करने हेतु)

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा राजस्थान के बारां जिले के सहरिया जनजाति वर्ग के छात्र/छात्राओं के शैक्षणिक उत्थान हेतु चलाई जा रही विभिन्न निम्नलिखित शैक्षणिक प्रोत्साहन योजनाओं में शैक्षणिक सत्र 2021-22 हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र विभागीय वेबसाइट www.tad.rajasthan.gov.in के Home page पर ONLINE PORTAL FOR TAD EDUCATIONAL INCENTIVE SCHEMES (2021-22) लिंक पर आवेदन करने के लिए पोर्टल दिनांक 25.11.2021 से 20.12.2021 तक खुला रहेगा।

1. सहरिया जनजाति छात्राओं को आर्थिक सहायता (कक्षा 11वीं एवं 12वीं)
2. सहरिया वर्ग के प्रतिभावान छात्रों को छात्रवृत्ति (बोर्ड कक्षाओं में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने पर छात्रवृत्ति)
3. सहरिया वर्ग के कॉलेज छात्राओं को आर्थिक सहायता
4. सहरिया छात्रों के लिये बी.एड प्रशिक्षण हेतु आर्थिक सहायता
5. सहरिया छात्रों के लिये बी.एस.टी.सी. प्रशिक्षण हेतु आर्थिक सहायता
6. सहरिया वर्ग के छात्र/छात्राओं को ए.एन.एम प्रशिक्षण
7. सहरिया छात्र/छात्राओं को शैक्षणिक उत्प्रेरण (कक्षा 1 से 5 तक) तथा (कक्षा 6 से 12 तक)

(इस योजना हेतु छात्र/छात्राओं को अलग से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, उक्त क्रम में प्रधानाचार्य द्वारा कार्यवाही की जायेगी)

उक्त प्रोत्साहन योजनाओं में पेपरलेस ऑनलाईन आवेदन करने हेतु शीर्ष संस्थाओं, शिक्षण संस्थाओं एवं विद्यार्थियों के लिए विस्तृत विवरण व दिशा-निर्देश विभागीय वेबसाइट www.tad.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।

अति. आयुक्त (प्रथम)
दिनांक :-


क्रमांक - एफ 7()सहरिया छात्र/छात्राओं को शैक्षणिक उत्प्रेरण/सीटीएडी/2021-22/
प्रतिलिपि - सूचनार्थ ।

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर।

1 सहेली मार्ग, चेतक सर्कल, उदयपुर (राज.)
EPABX : 2428721-24 FAX : 0294-2428721

E- Mail : comm.tad@rajasthan.gov.in, Website : www.tad.rajasthan.gov.in

3. संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर।
प्रतिलिपि- सूचनार्थ, आवश्यक कार्यवाही एवं व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु।
4. अतिरिक्त कलक्टर एवं परियोजना अधिकारी, सहरिया विकास, शाहबाद (बारा)।
5. निदेशक, टीआरआई, उदयपुर।
6. संयुक्त निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी, प्रकोष्ठ को भेज कर लेख है कि उक्त दिनांक में पोर्टल प्रारम्भ करावें।
7. शिक्षा प्रकोष्ठ कार्यालय हाजा।
8. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, बारा।
9. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा, बारा।
10. सहायक निदेशक, कॉलेज शिक्षा, कोटा।
11. जिला जनसम्पर्क अधिकारी, बारा को भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञापित का कोटा सम्भाग में व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु आवश्यक कार्यवाही करावे।


अति. आयुक्त (प्रथम)